भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4270
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

चुनाव में अनियमितताएं

4270. श्री आनंद भदौरिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न विधान सभा सीटों पर उप-चुनावों में किन्हीं अनियमितताओं की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या भारत के निर्वाचन आयोग को इस बात की जानकारी है कि उक्त चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक पहुंचने और अपना मत डालने की अनुमति नहीं दी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नागरिकों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सूचित किया है कि संवीक्षा प्रेक्ष कों की उपस्थिति में यथाविहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संचालित की गई थी और कोई भी अनियमितता रिपोर्ट नहीं की गई ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि मतदान के दिन पुलिस अधिकारियों द्वारा मतदाताओं से विवाद करने की कुछ घटनाएं रिपोर्ट की गई थीं । कानपुर जिले में 02 उप निरीक्षकों, मुजफ्फरनगर जिले में 02 उप निरीक्षकों और मुरादाबाद जिले में 01 उप निरीक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई ।

****